HRA ASUS The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II - खण्ड 3 - उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 747] No. 747] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 22, 2007/आषाढ़ 1, 1929 NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 22, 2007/ASADHA 1, 1929

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2007

का,आ. 1007(अ).—अधिसूचना संख्यांक का.आ. 671(अ) तारीख,30 सितम्बर, 1996 द्वारा तमिलनाडु राज्य के लिए पारिस्थितिकी क्षति (निवारण और प्रतिकर का संदाय) प्राधिकारी का गठन किया गया था:

और, अधिसूचना संख्यांक का.आ. 823(अ) तारीख 16 सितम्बर, 1998 द्वारा उक्त प्राधिकरण के सदस्य सचिव के रूप में डा. के. आर. रंगनाथन को नियुक्त किया गया था ;

और, डॉ. के.आर. रंगनाथन ने तमिलनाडु राज्य के लिए गठित पारिस्थितिकी क्षति (निवारण और प्रतिकर का संदाय) प्राधिकरण के सदस्य-संचिव के पद से अपना त्याग-पत्र दे दिया है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 14 मई, 2007 (अपराह्न) से तिमलनाडु राज्य के लिए पारिस्थितिकी क्षिति (निवारण और प्रतिकर का संदाय) प्रधिकरण के सदस्य-सिचव के पद से डॉ. आर. के रंगनाथन के त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया है और तिमलनाडु राज्य के लिए पारिस्थितिकी क्षिति (निवारण और प्रतिकर का संदाय) प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार उक्त प्राधिकरण में डॉ. जी. ओबलीसामी, सदस्य को देती हैं;

उक्त प्रयोजन के लिए, अधिसूचना सं. 671(अ) तारीख 30 सितम्बर, 1996 में क्रम संख्यांक 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

> (4) डॉ. जी. ओबलीसामी सदस्य, तमिलनाडु पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण अपील प्राधिकरण

सदस्य सचिव (अगले आदेशों तक अतिरिक्त प्रभार)

[फा. सं. जेड-20018/1/2007-सी.पी.ए.]

आर. के. वैश, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: तमिलनाडु राज्य के लिए पारिस्थितिकी क्षति (निवारण और प्रतिकर का संदाय) प्राधिकरण गठित करने वाली अधिसुचना भारत के राजपत्र असाधारण में का.आ. 671(अ) तारीख 30 सिदम्बर, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चात्वर्ती संशोधन का.आ. 710(अ) तारीख 12 अक्तूबर, 1996; का.आ. 590(अ), तारीख 15 जुलाई, 1998: का.आ. 823(अ), तारीख 16 सितम्बर, 1998; का.आ. 621(अ), तारीख 2 अगस्त, 1999, का.आ. 972(अ), तारीख 28 सितम्बर, 2001; का.आ. 130(अ), तारीख 28 जनवरी, 2002 ; का.आ. 348(अ) तारीख 28 मार्च, 2002; का.आ. 1044(अ), तारीख 27 सितम्बर, 2002 : का.आ. 1063(अ), 29 सितम्बर, 2004 : का.आ. 1432(अ) तारीख 31 दिसम्बर, 2004 ; का.आ. 1639(अ) तारीख 29 सितम्बर, 2006 ; का.आ. 50(अ) तारीख 17 जनवरी, 2007 और का.आ. 506(अ) तारीख 31 मांचं, 2007 द्वारा किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2007

S.O. 1007(E).—Whereas, the Loss of Ecology (Prevention and Payments of Compensation) Authority for the State of Tamil Nadu was constituted *vide* notification number S.O. 671(E), dated the 30th September, 1996;

And, whereas, Dr. K.R. Ranganathan was appointed as Member-Secretary of the said Authority *vide* notification number S.S. 823(F), dated the 16th September, 1998;

And whereas, Dr. K.R. Ranganathan has tendered his resignation from the post of Member-Secretary of the Loss of Ecology (Prevention and Payments of Compensation) Authority for the State of Tamil Nadu;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government has accepted the resignation of Dr. K.R. Ranganathan from the post of Member-Secretary of the Loss of Ecology (Prevention and Payments of Compensation) Authority for the State of Tamil Nadu with effect from 14th May, 2007 (after noon) and hereby give additional charge of the Member-Secretary of the Loss of Ecology (Prevention and Payments of Compensation) Authority for the State of Tamil Nadu to Dr. G. Oblisamy, Member, in the said Authority;

For the said purpose, in the notification number 671 (E), dated the 30th September, 1996, for serial number

- (4) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—
 - (4) Dr. G. Oblisamy
 Member, Tamil Nadu
 Environment and
 Pollution Control
 Appellate Authority

Member -Secretary (Additional charge till further orders)

[F. No. Z-20018/1/2007-CPA]

R. K. VAISH, Jt. Secv.

Note: The notification constituting the Loss of Ecology (Prevention and Payments of Compensation) Authority for the State of Tamil Nadu, was published in the Gazette of India, Extraordinary vide numbers S.O. 671 (E), dated the 30th September, 1996 and subsequently amended vide S.O. 710(E), dated the 12th October, 1996; S.O. 590 (E), dated the 15th July, 1998; S.O. 823(E), dated the 16th September, 1998; S.O. 621(E), dated the 2nd August, 1999; S. O. 972(E), dated the 28th September, 2001; S. O. 130(E), dated the 28th January, 2002; S. O. 348(E), dated the 28th March, 2002; S.O. 1044(E), dated the 27th September, 2002; S.O. 1063(E), dated the 29th September, 2004; S. O.1432(E) dated the 31st December, 2004; S.O. 1639(E) dated the 29th September, 2006; S.O. 50(E) dated 17th January, 2007 and S.O. 506(E) dated 31st March, 2007.